मानव-वन्यजीव मुठभेड़ की स्थितियों के लिए कानूनी समाधान

LEGAL MECHANISMS AVAILABLE IN HUMAN WILDLIFE CONFLICT

Disclaimer: There is no copyright on this publication. You are free to share, translate and distribute this material. We request that the source be acknowledged and a copy/link of your reprint, report or translation be sent to the CPR-Namati Environmental Justice Program.

Research: Centre for Policy Research-Namati Environmental Justice Program

Design: Vani Subramanian

Translation: Nidhi Agarwal

Print: Printforce

This research work has been supported by the Duleep Matthai Nature Conservation Trust (DMNCT)

अस्वीकरण: इस प्रकाशन पर कोई कॉपीराइट नहीं है।
आप इस की सामग्री का अनुवाद कर, लोगों के साथ बांट या वितरण कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप यदि इसे पुनः प्रकाशित करते हैं, या अनुवाद करते हैं, तो इस प्रकाशन का आभार देते हुए, उसकी एक प्रति सी.पी.आर.–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम को ज़रूर भेजें।

रिसर्च: सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम

रूपरेखा: वाणी सुब्रमणियन

हिंदी अनुवाद: निधि अग्रवाल

मुद्रण: प्रिन्टफोर्स

इस प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग 'दूलीप मथ्थाई नेचर कोनजरवेशन ट्रस्ट' से प्राप्त हुआ।

मानव-वन्यजीव मुठभेड़ की स्थितियों के लिए कानूनी समाधान

LEGAL MECHANISMS AVAILABLE IN HUMAN WILDLIFE CONFLICT

मानव–वन्यजीव मुठभेड की स्थितियों के लिए कानूनी समाधान

इस पुस्तिका में निम्नलिखित विषयों पर बात की गई है:

1 वन्यजीवों के साथ मुठभेड़ होने की स्थिति में मुआवज़े के प्रावधान

2 छत्तीसगढ़ में मानव-वन्यजीव मुठभेड़ की स्थिति

3 छत्तीसगढ़ में राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मुद्दे के लिए अपनाए गए समाधान

4 मुआवज़े के प्रावधान और इसके लिए दावा कैसे दर्ज करें

LEGAL MECHANISMS AVAILABLE IN HUMAN WILDLIFE CONFLICT

This handout deals with:

1 the compensatory mechanisms related to conflicts with wildlife

2 the status of human wildlife conflict in Chhattisgarh

3 various measures adopted by Chhattisgarh state and central government to address the issue

4 compensation measures and how to file claims for the same

मानव–वन्यजीव मुठभेड़ क्या होती है?

मानव-वन्यजीव मुठभेड़ तब होती है जब ''वन्यजीवों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों का मनुष्यों के उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या जब मनुष्यों के उद्देश्यों का वन्यजीवों की ज़रूरतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है''[1]। मानव - वन्यजीव मुठभेड़ के आम प्रभावों में शामिल है फसल, पालतू जानवरों, संपत्ति का नुक्सान और मनुष्यों की जान जाना। यह तब भी होता है जब मनुष्यों द्वारा अपने खुद के या अपनी संपत्ति को वास्तविक खतरा समझ कर या खतरे का आभास होने पर, 'जानबूझ' कर वन्यजीवों को चोट, प्रताड़ित या मारा जाता है।

1. विश्व उद्यान कांग्रेस, कांग्रेस की संस्तुतियां, संस्तुति सं० 20 : मानव – वन्यजीव मुठभेड़ से बचाव और इसे मिटाना (8-17 सितंबर, 2003)

WHAT IS HUMAN-WILDLIFE CONFLICT (HWC)?

HWC occurs when "needs and requirements of wildlife impact negatively on the goals of humans or when the goals of humans negatively impact the needs of the wildlife"[1]. HWCs usually result in the loss of crops, livestock, property and loss of human lives. It also occurs when humans are understood to have 'deliberately' injured, abused or killed wildlife because of actual or perceived threats to themselves or their property.

1. World Parks Congress (WPC), WPC Recommendations, Recommendation 20: Preventing and Mitigating Human-Wildlife Conflicts (8–17 Sept. 2003)

मानव–वन्यजीव मुठभेड़ की स्थिति क्यों पैदा होती है?

अध्ययनों से पता चलता है कि मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की स्थिति वन्यजीव आवास क्षेत्रों के खत्म होने, क्षतिग्रस्त होने या टुकड़े हो जाने के कारण पैदा होती है।[2] इनमें यह तर्क भी मिलता है कि यह मुठभेड़ की स्थितियां अक्सर संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों) के पास होती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र वन्यजीवों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।[3]

मानव–वन्यजीव मुठभेड़ के अनुमान

2017 की नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति वर्ष लगभग 400 लोग हाथी से मुठभेड़ संबंधी घटनाओं में मारे जाते हैं और हाथी लगभग 5,00,000 परिवारों की फसलों का विनाश करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, ''किसान 'समस्या' पैदा करने वाले जानवरों को हटाने के लिए, बदले में लगभग 100 हाथियों को मार देते हैं''।

2. नियंत्रक और लेखा परीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 6
3. Madden, F. M. (2008). The growing conflict between humans and wildlife: law and policy as contributing and mitigating factors. Journal of International Wildlife Law & Policy, 11 (2-3), 189-206. ;Ogra, M. V. (2008). Human–wildlife conflict and gender in protected area borderlands: a case study of costs, perceptions, and vulnerabilities from Uttarakhand (Uttaranchal), India. Geoforum, 39(3), 1408-1422.

WHY DO HWCs ARISE?

Studies have pointed out that HWC arises due to the loss, degradation and fragmentation of wildlife habitats.[2] They also reason out that these conflicts arise near Protected Areas (National Parks, Wildlife sanctuaries, Conservation reserves and Community Reserves), as these areas are insufficient for the needs of the wildlife.[3]

ESTIMATES OF HUMAN WILDLIFE CONFLICT

As per Comptroller and Auditor General's report in 2017, it is estimated that nearly 400 people are killed annually in elephant conflict related incidences in India and they cause damages approximately up to 5,00,000 families through crop depredation. The report also said that, "it is estimated that farmers in a bid to remove 'problem' animals, kill around 100 elephants due to retaliation".

2. Comptroller and Auditor General Report No 6 of 2017
3. Madden, F. M. (2008). The growing conflict between humans and wildlife: law and policy as contributing and mitigating factors. Journal of International Wildlife Law & Policy, 11(2-3), 189-206. ;Ogra, M. V. (2008). Human–wildlife conflict and gender in protected area borderlands: a case study of costs, perceptions, and vulnerabilities from Uttarakhand (Uttaranchal), India. Geoforum, 39(3), 1408-1422.

जानवर	नुकसान	कब	कहां
बाघ	98 मृत्यु	1 अप्रैल 2009 - 31 मार्च 2017	भारत
हाथी	2804 मृत्यु	1 अप्रैल 2009 - 31 मार्च 2016	भारत
हाथी	55 मृत्यु	2013-2015	छत्तीसगढ़
बाघ	41 मृत्यु	2013-2016	पश्चिम बंगाल

मानव वन्यजीव मुठभेड़ के समाधान के लिए क्या किया जाता है?

मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की बढ़ती घटनाओं के कारण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कई राज्य सरकारों ने समस्या के समाधान के लिए कुछ स्कीमें और योजनाएं तैयार की हैं। मानव – वन्यजीव मुठभेड़ को रोकने के लिए कार्यवाही की जाती है और मानव – वन्यजीव मुठभेड़ के कारण हुई क्षति के मुआवज़े के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। नीचे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्यवाहियों की सूचि दी जा रही है :

ANIMAL	DAMAGE	WHEN	WHERE
Tiger	98 deaths	1 April 2009 - 31 March 2017	India
Elephant	2804 deaths	April 2009 - 31 March 2016	India
Elephant	55 deaths	2013-2015	Chhattisgarh
Tiger	41 deaths	2013-2016	West Bengal

WHAT IS DONE TO TACKLE HWC?

Due to the rising instances of HWC, the Ministry of Environment Forests Climate Change (MoEFCC) and various state governments have come up with schemes and plans to remedy the situation. Actions are taken to prevent HWC as well as procedures have been set up to provide compensation for the losses incurred during a HWC. Following are a few measures under the law and taken by various authorities.

NATURE OF ACTION	AUTHORITY/LAW	DETAILS
Advisories	MoEFCC under Wildlife Protection Act, 1972 (WLPA)	Provisions under the WLPA have been encouraged to be used by the MoEFCC through various circulars. For example, in 2015 through an advisory the MoEFCC asked the states to form a Human Wildlife Conflict Management strategy and plans for identified conflict zones for quick response action. It lays down certain basic actions that could be put in these plans. One such action is that local volunteers should be trained to handle incidences of HWC.
National Wildlife Action Plan (2017-2031)	MoEFCC under WLPA	As per this, new institutions would be created for HWC mitigation.[4] Few examples:- • Centre for Excellence for HWC mitigation will be set up at the MoEFCC, which would coordinate with the various State Forest Departments, local bodies, scientific institutes and NGOs. • Conflict Mitigation Squads in selected regions to train and enhance squads for quick and effective response. • Primary Response Teams, consisting of local community persons who would be selected through consultation with local bodies and public representatives.
Project Tiger, Project Elephant [5]	MoEFCC	These projects, includes funding for activities focused on mitigation of HWC. For example, under Project Elephant, there are provisions for excavation of elephant proof trench, erection of solar fencing, and maintenance/establishment of rapid response teams, anti depredation camps. In Chhattisgarh, Project Tiger includes the Achanakmar Tiger Reserve, Indravati Tiger Reserve and Udanti-Sitanadi Tiger Reserve. The Badalkhol-Tamorpingla Elephant Reserve comes under Project Elephant.[6]
Augmentation of Fodder & Water Scheme in Protected Areas/ Forest Areas	MoEFCC under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Under this augmentation of fodder and water sources are done for wild herbivores within the Protected Area/Forests where degraded habitat is known to be the cause of significant HWC.

4 As per information found on the public domain, these institutions have not been formed yet
5 While these projects provide for preventive measures, the efficacy of such projects is not being commented upon in this legal material.

6 As per notification issued by Forest Department of Chhattisgarh on 12th June 2015

कार्यवाही	प्राधिकरण	विस्तृत जानकारी
सलाह पत्र	वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत MoEFCC द्वारा	MoEFCC विभिन्न परिपत्रों द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता आया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 में एक सलाह पत्र के माध्यम से MoEFCC ने राज्यों को चिह्नित मुठभेड़ क्षेत्रों में मानव – वन्यजीव मुठभेड़ प्रबंधन के लिए रणनीति और योजनाएं बनाने के लिए कहा। मंत्रालय ने कुछ मूल कार्यवाहियों के सुझाव दिए हैं जो इन योजनाओं में शामिल की जा सकती हैं। एक ऐसी कार्यवाही है कि स्थानीय स्वयंसेवियों को मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)	वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत MoEFCC द्वारा	इसके अनुसार, मानव – वन्यजीव मुठभेड़ को मिटाने के लिए नए संस्थान बनाए जाएंगे।[4] कुछ उदाहरण हैं : • मानव – वन्यजीव मुठभेड़ मिटाने के लिए MoEFCC में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जो विभिन्न राज्य वन विभागों, स्थानीय इकाइयों, वैज्ञानिक संस्थानों और गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय में काम करेंगे • चयनित क्षेत्रों में मुठभेड़ मिटाने के स्क्वॉड बनाए जाएंगे जो जल्द और प्रभावकारी प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण देंगे और स्क्वॉडों की संख्या बढ़ाएंगे। • प्राथमिक प्रतिक्रिया टीमें, जिनमें स्थानीय संस्थानों और जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके चुने गए स्थानीय लोग शामिल रहेंगे
बाघ परियोजना, हाथी परियोजना[5]	MoEFCC	इन परियोजनाओं में मानव – वन्यजीव मुठभेड़ को मिटाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के लिए वित्तपोषण शामिल रहता है। उदाहरण के लिए, हाथी परियोजना में हाथी से बचने के लिए ट्रैंच खोदने, सौर्य चारदीवारी बनाने, और शीघ्र प्रतिक्रिया टीम बनाने/प्रबंधन, अवक्रमण विरोधी शिविर आदि के लिए प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में, बाघ परियोजना में अचानकमार बाघ आरक्षित क्षेत्र, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र और उदांती–सीतानदी बाघ आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। बदलखोल–तमोरपिंगला हाथी आरक्षित क्षेत्र हाथी परियोजना के अंतर्गत आता है।[6]
संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों के लिए चारा और जल विकास योजना	क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के अंतर्गत MoEFCC	इसके अंतर्गत, उन संरक्षित क्षेत्रों/वनों जहां पर क्षतिग्रस्त वन मानव – वन्यजीव मुठभेड़ का कारण हैं, उनमें जंगली शाकाहारी जानवरों के लिए चारे और जल स्रोतों को बढ़ाने का काम किया जाता है।

4 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह संस्थान अभी तक गठित नहीं किए गए हैं।
5 हांलाकि इन परियोजनाओं में सुरक्षात्मक प्रावधान दिए गए हैं, इन परियोजनाओं की प्रभाविता पर इस कानूनी सामग्री में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

6 दिनांक 12 जून 2015 को छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार

क्या मानव–वन्यजीव मुठभेड़ को मिटाने के लिए शिकार करने की अनुमति है?

केन्द्रीय MoEFCC द्वारा या राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति इन परिस्थितियों में दी जा सकती है :

- जब वे संतुष्ट हों कि शिड्यूल 1 में निर्दिष्ट कोई वन्यजीव मानवीय जीवन के लिए खतरनाक है या अपंग है या इतना बीमार है कि वह ठीक नहीं हो सकता (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत)
- जब वे संतुष्ट हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शिड्यूल 2-5 तक में निर्दिष्ट कोई वन्यजीव मानवीय जीवन या संपत्ति (जिसमें खड़ी फसल भी शामिल है) के लिए खतरनाक बन चुका है (धारा 11 (1) (ख) के अंतर्गत)। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शिड्यूलों में विभिन्न स्तनधारी, उभयचर, सरीसर्प और कीड़े प्रजातियों आदि की सूचियां दी गई हैं।

क्या वन्यजीवों को हिंसक घोषित कर दिया गया है?

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62 केन्द्रीय सरकार को शक्ति देती है कि वह, अधिसूचना के माध्यम से किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के और निर्धारित समय के लिए वन्यजीवों को हिंसक घोषित कर सकती है। किसी वन्यजीव को हिंसक घोषित करने का मतलब है कि उसका शिकार किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मानव – वन्यजीव मुठभेड़ के समाधान के लिए वन्यजीवों को हिंसक घोषित किया गया है।

IS HUNTING PERMITTED AS A MEASURE TO CONTROL AND MITIGATE HWC?

It can be permitted by the MoEFCC at the Centre or the Chief Wildlife Warden at the State level. This can be done in the following instances:

- When it is satisfied that an animal specified in Schedule I, is dangerous to human life or is disabled or diseased beyond recovery [Under Section 11 (1) (a) of the WLPA]
- When it is satisfied that an animal specified in Schedule II-IV of the WLPA becomes dangerous to human life or property (including standing crops in any land) [Under Section 11 (1) (b)]. The Schedules in the WLPA lists the various mammals, amphibians, reptiles, insects etc.

HAVE WILD ANIMALS BEEN DECLARED VERMIN?

Section 62 of WLPA empowers the central government to declare wild animals to be vermin for specified area and period by issuing a notification. Declaring an animal vermin implies that the wild animal can be hunted. There have been instances where animals have been declared vermin to address human wildlife conflicts.

वन्यजीव	कहां?	अवधि	कारण
रीसस मकैक बंदर	हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, वन क्षेत्रों के लिए मान्य नहीं है	24 मई 2016 से एक वर्ष की समयावधि के लिए	जान और संपत्ति का विनाश और कृषि का विशाल स्तर पर विनाश।
जंगली सूअर	उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में जंगली सूअर पाए जाते हैं	3 फरवरी 2016 से एक वर्ष की समयावधि के लिए	जंगलों के बाहर के क्षेत्रों में जंगली सूअर की जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण, जान और संपत्ति को हानि और कृषि का विशाल स्तर पर विनाश
नीलगाय और जंगली सूअर	बिहार के कुछ हिस्सों में	1 दिसंबर 2015 को एक वर्ष की समयावधि के लिए जारी	जंगलों के बाहर के क्षेत्रों में नीलगाय और जंगली सूअर की जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण, जान और संपत्ति को हानि और कृषि का विशाल स्तर पर विनाश

ANIMAL	WHERE	TIMESPAN	REASON
Rhesus Macaque monkeys	Parts of Himachal Pradesh, not applicable in forest areas	For a period of one year from 24th May 2016	Damage to life and property and large-scale destruction of agriculture
Wild Pig	Areas where wild pig is found in Uttrakhand	Issued on 3rd February 2016 for a period of one year	Harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of wild pigs in areas outside forests
Nilgai and Wild pig	Parts of Bihar	Issued on 1st December, 2015 for a period of one year	Harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Nilgai and wild pigs in areas outside forests

क्या किसी भी व्यक्ति को अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक नियुत किया जा सकता है?

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अन्य सेवाओं के साथ–साथ, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक को वन्यजीवों द्वारा जान और संपत्ति के नुक्सान की समस्या के लिए कदम लेने होते हैं, जिसमें मूल्यांकन करना और मुआवज़ा देना शामिल है।

यह अवैतनिक संरक्षक कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पहचान हो, जो किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हो जो प्रकृति और वन्यजीवों के हितों के खिलाफ़ है और वह अधिकारिक व्यवस्था को मदद करने की क्षमता रखते हों।

यह नियुक्ति वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर की जाती है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार गठित करती है।

CAN ANY PERSON BE APPOINTED AS AN HONORARY WILDLIFE WARDEN?

The WLPA provides for the appointment of Honorary Wildlife Wardens under Section 4 of the Act. Among other duties, Honorary Wildlife Warden measures to deal with the problem of damage by wild animals to life and property, including assessment and payment of compensation.

These Honorary Wildlife Wardens can be any person who has a local standing, concern for wildlife conservation, is not involved in any activity detrimental to the interests of nature and wildlife and has the capacity to help in the official machinery.

The appointment is be made on the recommendation of the Wildlife Advisory Board, which is set up by the State governments under the WLPA.

मुआवज़े के उपाय

मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ने के कारण, सरकार ने कई मुआवज़े के तरीके सुझाए हैं जिससे कि नुक्सान की भरपाई की जा सके।

MoEFCC द्वारा निर्धारित मुआवज़ा राशि क्या है?

MoEFCC द्वारा 9 फरवरी, 2018 को जारी किए गए परिपत्र संख्या [F.No.14-2/2011 W-I (Pt-II), के अनुसार, मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की घटनाओं के लिए केन्द्रीय स्कीमों में मुआवज़े की राशि को बढ़ाया गया है। यह राशियां नीचे दी जा रही हैं। यह राशियां राज्यों द्वारा इसी प्रकार की राशि निर्धारित किए जाने के लिए दिशानिर्देश हैं। इस दस्तावेज़ में नुक्सान की प्रकार को परिभाषित नहीं किया गया है।

नुक्सान का प्रकार	राशि
मृत्यु या मनुष्यों की स्थायी अक्षमता	रु. 5 लाख
गंभीर चोट	रु. 2 लाख
छोटी चोट	रु. 25,000 प्रति व्यक्ति, इलाज के लिए
संपत्ति/फसल को नुक्सान	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार उनके द्वारा निर्धारित राशि का पालन करें

COMPENSATION MEASURES

Due to the rise in human wildlife conflict, the government has come up with compensation measures to compensate for the damage that is incurred.

WHAT IS THE COMPENSATION AMOUNT SET BY MoEFCC?

As per a circular [F.No.14-2/2011 W-I (Pt-II)] issued on February 9th, 2018 by the MoEFCC, the compensation amounts through central schemes in case of human wildlife has been increased. Following is the compensation amounts prescribed as per this circular. These amounts are guidelines to the states to set similar amounts. The nature of damage caused has not been defined in this document.

NATURE OF DAMAGE CAUSED	AMOUNT
Death or permanent incapacitation to human beings	Rs 5 lakh
Grievous injury	Rs 2 lakh
Minor injury	Cost of treatment upto Rs. 25,000 per person
Loss of property/crops	State/UT governments may adhere to the cost norms prescribed them

क्या

छत्तीसगढ़ में मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

छत्तीसगढ़ में, विभिन्न सरकारी अध्यादेशों के माध्यम से मानव – वन्यजीव मुठभेड़ की स्थिति में मुआवज़ा लेने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस स्थिति में वन्यजीव का मतलब है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 1 से 4 में निर्धारित कोई भी जानवर। इनमें शामिल हैं शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, जंगली सूअर, गौर और जंगली कुत्ते – लेकिन यह सूचि इन्हीं जानवरों तक सीमित नहीं है।

MoEFCC के पास शेड्यूलों को निर्धारित करने, बदलने या हस्तांतरण करने की शक्ति है। छत्तीसगढ़ में, जंगली हाथियों, नीलगाय, जंगली सूअर और सियार यदि फसल या संपत्ति को नुक्सान पहुंचाते हैं, तो इसकी भरपाई के लिए मुआवज़े का प्रावधान है।

किस

प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए?

वन विभाग के रेंज अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। नुक्सान की जानकारी प्राप्त करने के बाद रेंज अधिकारी इस अधिसूचना के परिशिष्ट में संलग्न फॉर्म में शिकायत दर्ज करेंगे:– http://www.cgforest.com/WildLife//media/scanva-napradh29-05-2015.pdf

WHAT

IS THE PROCEDURE LAID DOWN IN CHHATTISGARH FOR OBTAINING COMPENSATION?

A procedure is laid down to access compensation in case of human wildlife conflict in Chhattisgarh, through various government orders. Wildlife in this case means any animal specified in Schedule I to IV of the WLPA. This includes, but is not limited to Lions, Tigers, Leopard, Elephant, Crocodile, Sloth Bear, Indian Wolf, Wild Boar, Gaur and Wild Dogs.

The MoEFCC has the power to determine, alter or transfer Schedules. In Chhattisgarh, in case of wild elephants, Nilgai, wild boar and jackals causing damage to crops or property, there is provision for compensation to the damage so caused.

WHICH AUTHORITY

SHOULD BE APPROACHED?

The Forest Range Officer should be informed. On receiving information about the damage, the Forest Range Officer registers the complaint in the form annexed to this notification :-http://www.cgforest.com/WildLife//media/scanvanapradh29-05-2015.pdf

क्या

कोई सबूत भी देना चाहिए?

प्राप्त जानकारी के आधार पर, नहीं। लेकिन अच्छा होगा कि यह दस्तावेज़ संलग्न कर दिए जाएं, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में मांगा जाता है। इससे दावे को मज़बूती मिलेगी।

- मनुष्यों की मृत्यु या चोट लगने पर – चिकित्सक प्रमाण पत्र, प्रभावित व्यक्ति की तस्वीर, पुलिस जांच रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में)
- फसल को नुक्सान होने पर – नुक्सान हुई ज़मीन की तस्वीर
- पालतू जानवर को चोट/ मृत्यु पर – पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जिसमें लिखा हो कि पशु की मृत्यु जंगली जानवर के आक्रमण के कारण हुई है, घटना की जगह पर ली गई पशु की तस्वीर
- संपत्ति के लिए – नुक्सान हुई संपत्ति की तस्वीर

नुक्सान

का आंकलन कैसे किया जाता है?

वन रेंज अधिकारी ज़िला कलेक्टर को सूचित करता है। ज़िला कलेक्टर उप–खण्ड अधिकारी और तहसीलदार (कार्यकारी न्यायाधीश) को सूचित करता है, जो फिर संबंधित पटवारी (भू–रिकार्ड अधिकारी) को सूचित करते हैं।

नुक्सान का संयुक्त आंकलन ग्राम वन कमिटि/वन सुरक्षा कमिटि, पटवारी, सरपंच, रेंज सहायक/वन चौकीदार और ग्राम वन कमिटि/वन सुरक्षा कमिटि के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। पटवारी, सरपंच और रेंज सहायक की मौजूदगी अनिवार्य है।

फसलों, मकान और संपत्ति को नुक्सान के आंकलन के लिए, राजस्व रिकार्ड में दी गई दरें (संशोधित) का उपयोग किया जाएगा।

SHOULD

ANY EVIDENCE BE ATTACHED?

Not as per the information available. However it is preferable that the following is attached as is indicated in other states. This can strengthen the claim.

- For Death or injury of humans- Medical certificate, photograph of the affected person, police enquiry report (in case of death)
- For crop damage-Photograph of damaged land,
- For Cattle injury/death- Post mortem report certifying that the domestic animal has died due to wild animal attack, photograph of the domestic animal at the place of incidence
- For property-Photograph of damaged property

HOW ARE DAMAGES ASSESSED?

The Forest Range Officer informs the District Collector. The District Collector informs the Sub-Divisional Magistrate and Tahasildar (Executive Magistrate), who then informs the concerned Patwari (Land Record Officer).

The damages are jointly assessed by the Village Forest Committee/Forest Protection Committee Village, Patwari (Land Record Officer), Sarpanch, Range Assistant/Forest Guard and head of the Village Forest Committee/ Forest Protection Committee. The presence of Patwari, Sarpanch and Range Assistant are compulsory.

To assess the damage to crops, house and property, rates mentioned in the revenue records (as amended) will be utilised.

कौन मुआवज़े की राशि का आवंटन करता है?

कमिटि द्वारा नुक्सान का आंकलन कर लेने के बाद, रेंज सहायक सभी दस्तावेज़ रेंज अधिकारी के पास जमा करते हैं। रेंज अधिकारी, उप–वनपाल के माध्यम से, मामले को दावे की स्वीकृति के लिए वन संरक्षक के पास भेजते हैं। इसके बाद, रेंज अधिकारी राशि का आवंटन करते हैं।

दिनांक 24-4-2015 को जारी किए गए एक प्रशासनिक आदेश के अनुसार (सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी अधिनियम, धारा 6, अध्याय 4), जब बिल कोष विभाग द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो मुआवज़े की राशि का भुगतान मृत्यु या चोट की घटना के लिए 10 दिन के अंदर और फसलों, संपत्ति और पालतू पशुओं को नुक्सान के मामले में 15 दिन के अंदर आवंटित हो जाना चाहिए।

WHO DISBURSES THE COMPENSATION AMOUNT?

After the committee assesses the damage, the Range Assistant deposits the case documents with the Range Officer. The Range Officer, through the Deputy Conservator of Forests, will send the case to Conservator of Forests for acceptance of the claim. After that, the Range officer will disburse the amount.

As per an Administrative order dated 24.4.2015 (under the Public Services Guarantee Act, Section 6, Chapter 4), after the bill has passed from the treasury, the amount of compensation has to be disbursed within 10 days in cases of death or injury and 15 days in cases of damage to crops, property and cattle.

छत्तीसगढ़ में मुआवज़े की राशि कितनी है?

वन्यजीवों द्वारा किए गए नुक्सान का प्रकार	मुआवज़े की राशि
मृत्यु	रु. 4 लाख
स्थायी अक्षमता	रु. 2 लाख
चोट	रु. 59,100/-
पालतू पशुओं को नुक्सान	रु. 30,000/-

क्या पूरी प्रक्रिया के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नहीं।

क्या मुआवज़ा न मिलने की स्थिति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नहीं।

WHAT ARE THE AMOUNTS OF COMPENSATION IN CHHATTISGARH?

NATURE OF DAMAGE CAUSED BY WILD ANIMAL	AMOUNT OF COMPENSATION
Death	Rs. 4 lakh
Permanent incapacitation	Rs. 2 lakh
Injury	Rs. 59,100/-
Damage to domestic animals	Rs. 30,000/-

IS THERE ANY MECHANISM IN CASE OF COMPENSATION NOT BEING RECEIVED?

Not as per the available information.

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT